



Manglam Infra & Engineering Limited

Date: August 19, 2026

To,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051

NSE SYMBOL: MIEL

Dear Sir/Madam,

Sub.: Intimation of publication of newspaper advertisements

Ref: Regulations 30 & 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014

With reference to the above-captioned subject, please find enclosed herewith the newspaper advertisements published in Business Standard (English and Hindi editions) on Wednesday, August 19, 2026, intimating that the Company has sent the Annual Report for the Financial Year 2025-2026, along with the Notice convening the Third (03rd) Annual General Meeting ("AGM") scheduled to be held on Friday, September 11, 2026, at 12:00 Noon (IST), to all the Members of the Company through electronic mode on Tuesday, August 18, 2026. The advertisement also contains information regarding the remote e-voting facility provided to the Members.

The above information is also available on the website of the Company at www.manglaminfra.com

Kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For, MANGLAM INFRA & ENGINEERING LIMITED

Neha Jain
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. A60792

Encl: As above



DEEPAK PATEL
New Delhi, 18 August

India's aviation sector has transformed dramatically since the economic reforms of 1991, evolving from a state-controlled sector into one of the world's fastest-growing aviation markets. The journey, however, has been anything but smooth. Three decades of rapid passenger growth have been accompanied by repeated airline failures, bruising competition and persistent questions over whether India's airline business can ever become consistently profitable.

For nearly four decades after the Air Corporations Act came into force in 1953, scheduled commercial air services were dominated by Air India and Indian Airlines. Air travel remained expensive and was largely confined to business travellers, government officials and affluent Indians. That changed in 1991, when the Centre introduced the Air Taxi Scheme, allowing private operators to enter the sector as non-scheduled carriers. The Air Corporations Act was repealed in 1994, formally opening the market to scheduled private airlines.

"The 1991 reforms were extremely remarkable because private airlines were allowed to operate. That was a very big decision at the time and it enabled a world-class airline like Jet Airways to emerge. It demonstrated the quality of Indian private enterprise in aviation," says Kapil Kaul, chief executive officer and director at aviation consultancy firm CAPA India.

The reforms triggered the first wave of private airlines, including East-West Airlines, Damania Airways and ModiLuft. The new entrants broke the state-run duopoly and introduced greater competition and improved service standards. Yet, most entered a business that demanded far deeper financial resources than anticipated. East-West shut down after financial troubles worsened following the assassination of founder Thakiyudeen Wahid in 1995. Damania Airways and ModiLuft also exited within a few years. Jet Airways and Sahara Airlines emerged as the principal survivors, with Jet eventually building one of India's largest domestic and international networks.

The early failures highlighted structural weaknesses that would continue to



FILE PHOTO: REUTERS

Aviation: How reforms gave wings to private sector

The reforms of 1991 triggered the first wave of private airlines, yet most entered a sector that demanded far deeper financial resources than anticipated

define Indian aviation. Airlines operated in a high-cost environment characterised by expensive aviation turbine fuel, inadequate airport infrastructure, limited capital and evolving regulation. "From the time private airlines were allowed in 1991, the core issue has been under-capitalisation. Airlines entered the market without sufficient financial strength and then discovered that this business requires a continuous flow of capital. That challenge has remained one of the defining characteristics of Indian aviation," Kaul says.

Affordability pivot
The next major phase of growth began in the early 2000s, when flying started becoming affordable for the middle class. Captain G R Gopinath's Air Deccan introduced India's first successful low-cost carrier model and popularised promotional fares at just ₹1. Budget airlines such as SpiceJet, GoAir and IndiGo expanded rapidly, forcing full-service carriers to lower fares and widening access to air travel. The period also witnessed impor-

tant policy changes. Airport privatisation gathered pace with Delhi and Mumbai being handed to private operators, while greenfield airports at Bengaluru and Hyderabad created a new model for infrastructure development. Air India embarked on a major fleet expansion, and Indian carriers gradually strengthened their international presence, although overseas operations remained governed by the 5/20 rule (you can operate international flights only if you have five years of experience and 20 planes) until it was replaced by the 0/20 norm in 2016. "From 2004, low-cost airlines were encouraged, Air India was allowed a major fleet renewal, Indian carriers were permitted to expand globally and airport privatisation gathered momentum. That period fundamentally reshaped Indian aviation," Kaul says. Passenger numbers surged, but profitability remained elusive. Fierce fare competition coincided with rising fuel prices and increasing operating costs. Airlines continued to earn revenues in a highly price-sensitive market

while many of their expenses, including aircraft leases and maintenance, remained linked to the dollar. Kingfisher Airlines became the biggest casualty of the period. Launched in 2005, it acquired Air Deccan two years later to accelerate expansion and qualify for international operations. Heavy borrowing, aggressive growth, integration challenges, rising fuel costs and the global financial crisis eventually pushed the airline into collapse in 2012. Jet Airways, despite acquiring Air Sahara and building India's leading private airline, also succumbed to mounting debt and intense competition, suspending operations in 2019. **Market consolidation** Subsequent years brought further consolidation. Go First suspended operations in 2023 after prolonged financial stress, while Vistara was merged into Air India as the Tata Group consolidated its airline business. The return of Air India to the Tata Group in 2022 marked another landmark reform, ending nearly seven decades of state ownership and

setting the stage for one of the industry's biggest turnaround efforts. "I treat Air India's privatisation as the most historic decision in Indian aviation. It was a bold reform, it required courage and it was an extremely positive reform. Honestly, I do not think such a decision could have been taken without strong political conviction," Kaul says. The sector's growth has nevertheless been extraordinary. Domestic passenger traffic has increased from about 14 million in 2004-05 to around 168 million today. Private airport operators have expanded capacity, airlines have placed record aircraft orders and India has emerged as one of the world's largest aviation markets. The financial record tells a different story. "While India has made tremendous progress in growth, scale and airport development, airlines have lost about \$25 billion since 2004. The challenge is not just to grow aviation, but to make the airline business economically viable. We want more airports, more aircraft, more connectivity and more long-haul operations. But we also have to ask

As the industry expands, attention is shifting from growth to governance. Passenger traffic, fleet sizes, and airport investments have increased, placing greater demands on regulators. The next phase of aviation growth will depend as much on capacity as on market demand

how we make airlines financially sustainable. Growth without viability cannot be the long-term answer," Kaul says. The industry's cost structure remains one of its biggest hurdles. Fuel and taxation account for a significant share of airline expenditure, while regulatory requirements, security obligations, market access rules and consumer protection requirements add indirect costs that are less visible but equally significant. Kaul also points to the disconnect between regulatory entry requirements and the capital actually needed to survive. "If you have a paid-up capital of ₹50 crore, you can technically start an airline. But if you want to survive and compete in India today, you probably need a capitalisation plan of around ₹10,000 crore. The gap between regulatory requirements and commercial realities is enormous," he says. Today's market is more consolidated than at any point since liberalisation. IndiGo has established itself as the dominant airline through disciplined cost management and a strong balance sheet. Air India, backed by the Tata group, is investing heavily in fleet renewal and network expansion, while SpiceJet continues to battle financial challenges in an increasingly competitive market. As the industry expands, attention is shifting from growth to governance. Passenger traffic, fleet sizes and airport investments have increased sharply, placing greater demands on regulators. Industry executives say that the next phase of aviation growth will depend as much on institutional capacity as on market demand. "The sector has become so large that the most important issue today is air safety. Air safety requires a completely new regulatory regime. You cannot continue growing at this scale with the existing safety regulatory structure. We need to completely modernise and revamp DGCA along the lines of leading global regulators," Kaul says. The reforms now must go beyond safety oversight to include aviation security, consumer protection, competition policy and technology-led regulation. As the market consolidates around fewer airlines and airport operators, stronger institutions will be essential to ensure fair competition and protect passenger interests.

ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY OF RAJASTHAN LTD.
701-709, 7th Floor, ARG Corporate Park, Gopalbani, Ajmer Road, Jaipur - 302 001
Tel.: +91 141 2274700 | E-mail: office@ridco.in | Website: www.rideco.in | CIN: U45203RJ2004PLC019850

RIDCOR/PR/ADMIN/NEW-519/2026/263 **SHORT TERM E-NIT** Date: 18.08.2026
RIDCOR intends to invite online tenders through e-procurement for various works/services as per details given below:

S. No.	Description	Name of roads	Period for downloading the Bid document (L+J-1)	Online Bid Opening Date
1	Selection of agency for manpower-based toll collection at toll plazas for the period from 1.9.2026 to 31.3.2027	Laisat-Kota (U-1)	from 19.08.2026 (15:00 Hrs) to 25.08.2026 (18:00 Hrs)	26.08.2026

All the particulars/details and amendments related to this E-NIT can be viewed on the website <http://eproc.rajasthan.gov.in>. Interested agencies/firms are required to be registered on this website through digital signatures. **Director**



Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
H.O. Information Technology Dept.,
2nd Floor, Plot No. 151, Sector - 44, Institutional Area,
Gurgaon - 122003 Email: ho.it@psb.bank.in

Where service is a way of life

TENDER NOTICE
Tenders are invited for "Request for proposal for Selection of Bidder for Supply, Installation, Implementation, Maintenance & Management of IT Security Solution And Services". For specifications & other relevant details, RFP may be downloaded from Bank's website <https://punjabandsind.bank.in/>. Any further changes related to the said Tender shall be posted on bank's website only.
Date: 19.08.2026 Asst General Manager- IT



पंजाब नैशनल बैंक
...पैसे का सही काम !
...the name you can BANK upon !

SHARE DEPARTMENT, BOARD & CO-ORDINATION DIVISION
PLOT No. 4, DWARKA SECTOR-10, NEW DELHI-110075
Email id: hosd@pnb.bank.in

SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL SECURITIES
Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/II/3750/2026 dated January, 30th 2026, all shareholders are hereby informed that the special window to facilitate transfer and dematerialization ("demat") of physical securities which were sold / purchased prior to April 1, 2019 has been opened for a period of one year from February 05, 2026 till February 04, 2027.
The special window shall also be available for such transfer requests which were submitted earlier and which were rejected / returned / not attended due to deficiency in the documents / process / otherwise.
Investors re-lodging the transfer requests must have an active/ KYC compliant demat account and must provide its Client Master List ("CML"), along with the transfer documents and share certificate(s). Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests.
The concerned investors may submit their request with necessary documents latest by February 04, 2027, with the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Bank. The details of the RTA are as under:
KFin Technologies Limited
Unit: Punjab National Bank
Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032
Email: einward.ris@kfintech.com
Toll Free: 1800 309 4001
Website: www.kfintech.com
The securities that are to be re-lodged for transfer will be issued only in demat mode, once all the documents are found in order by the RTA. Transfer requests submitted after February 04, 2027 shall not be accepted by the Bank/ RTA.
Date: 18.08.2026 For Punjab National Bank (Bikramjit Shom) Company Secretary
Place: New Delhi



MANGLAM INFRA & ENGINEERING LIMITED

Registered office: 115 & 116, Ganesh Nagar, Hoshangabad Road, Bhopal (M.P.) - 462026 IN
CIN: L43900MP2023PLC066771
Email: manglaminfra@manglaminfra.com, info@manglaminfra.com
Website: www.manglaminfra.com, **Tel Ph :** 755 4353460

NOTICE OF THE THIRD ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION
In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated 08/04/2020, and subsequent circulars issued in this regard, latest being 03/2025 dated 22/09/2025 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03/10/2024 issued by SEBI ("SEBI Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Act, the Listing Regulations, MCA Circulars and SEBI Circulars, **Notice is hereby given that the Third AGM of the Manglam Infra & Engineering Limited ("the Company") will be held on Friday, September 11, 2026, at 12:00 Noon (IST) through VC/OAVM to transact the business, as set out in the Notice of AGM.** In this connection, the Shareholders may note the following:
I. Notice of the Third AGM along with the Annual Report for the financial year 2025-26 ("the Annual Report") has been sent electronically to those members whose e-mail addresses are registered with the Registrar & Share Transfer Agent ("Registrar") / Depository Participants ("DPs").
II. Notice of the Third AGM and the Annual Report covering all relevant statutory documents are available on the website of the Company at www.manglaminfra.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The Notice of AGM is also available on the website of National Stock Exchange i.e. at www.nseindia.com.
III. Members can attend and participate in the AGM only through the VC/OAVM facility, the details of which are provided by the Company in the Notice of the AGM. Accordingly, no provision has been made to enable shareholders to attend and participate in the Third AGM of the Company in person. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.
E-Voting Instructions:
I. Shareholders will be provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using the electronic voting system (e-voting) facility provided by NSDL, which is detailed in the Notice of AGM.
II. A person whose name is recorded in the register of members as on **September, 04, 2026 ("Cut-off Date")** shall only be entitled to vote through remote e-voting. Voting rights shall be in proportion to the Equity Shares held by the Members as on Friday, September, 04, 2026.
III. **Remote e-voting will commence at 9:00 A.M. (IST) on Tuesday, September, 08, 2026 and end at 5:00 P.M. (IST) on Thursday, September, 10, 2026.** During this period, Members holding shares either in physical or dematerialised form as on Cut-off Date may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
IV. Those Shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and who have not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM. Shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to AGM may also attend / participate in the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their votes again.
This is to inform our members that all shares of the Company are currently held in dematerialized form. Shareholders holding shares of the Company in electronic/dematerialized form but who have not yet incorporated their email address in their respective Demat Account or in case of any change in the existing details are requested to approach their respective DPs for updating the same.
The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Rajendra Sahay Shrivastava (FCS: 7482, CP. no.: 7832) proprietor of R.S. Shrivastava & Associates, Practising Company Secretaries, Bhopal, as the Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. Any person who becomes a shareholder of the company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date may download the notice from the websites and follow the procedure for remote e-voting /attending the AGM through VC/e-voting at the AGM as mentioned in the notice. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A Wing', Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, at evoting@nsdl.com.
Date: 19-08-2026 For Manglam Infra & Engineering Limited Sd/- Neha Jain Company Secretary & Compliance Officer
Place: Bhopal



ANJANI PORTLAND CEMENT LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): L26942TG1983PLC157712
Registered Office: #6-3-553, Unit No. E3 & E4, 4th Floor, Quena Square Off: Taj Deccan Road, Erramanzil, Hyderabad, Telangana – 500 082
Tel No.: +91 40 2335 3096/3106 | Website: www.anjanacement.com | Email Id: secretarial@anjanacement.com

NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION
Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, September 10, 2026 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM dated August 12, 2026 in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI").
The Company has sent out the AGM Notice and Annual Report (e-AGM documents) for financial year 2025-26 on Tuesday, August 18, 2026 through electronic mode to such members whose email addresses are registered with their respective Depository Participant (DPs) or the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), M/s. KFin Technologies Limited and also a letter containing weblink for accessing the Notice and Annual report for financial year 2025-26 has been sent to the shareholders who have not registered their email address with RTA/DP.
The e-AGM documents are also available on the websites : www.anjanacement.com; www.evoting.kfintech.com ; and stock exchanges: www.bseindia.com and www.nseindia.com. Hard copy of the e-AGM documents will be sent to those members who specifically request for the same by writing to secretarial@anjanacement.com or to einward.ris@kfintech.com with their folio / demat account nos. clearly mentioned.
E-Voting : The details of the facility are given hereunder:

S. No.	Event	Date
1.	Date of completion of electronic dispatch of the AGM notice	Tuesday, August 18, 2026
2.	Date and time of commencement of remote e-voting	Monday, September 07, 2026 from 9:00 a.m. (IST)
3.	Date and time of end of remote e-voting	Wednesday, September 09, 2026 upto 5:00 p.m. (IST)
4.	The cut-off date as on which the eligibility of shareholders to vote shall be reckoned	Thursday, September 03, 2026
5.	Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond	5:00 p.m. (IST) on Wednesday, September 09, 2026

6. The shareholders who have cast their vote through the remote e-voting facility may participate in the AGM but shall not be allowed to vote again at the AGM. Shareholders who could not vote through remote e-voting may do the e-voting at the AGM. The shareholders whose names are recorded in the Register of Members or in the list of Beneficial Owners provided by depositories as on cut-off date are only entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in the AGM.

7. The shareholders can cast their vote on a resolution only once and shall not be allowed to change it subsequently. The detailed instructions relating to remote e-voting and e-voting during the AGM and for participation in the AGM are provided in the Notes forming part of the AGM Notice.

8. Shareholders who have not registered their e-mail address may temporarily get their e-mail address and mobile number registered with the Company's RTA, by sending email to einward.ris@kfintech.com or secretarial@anjanacement.com.

9. Any individual or non-individual shareholder who acquire shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after sending of the notice and hold shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and Password by sending a request at evoting@kfintech.com or secretarial@anjanacement.com. However, if he/she is already registered with Company's RTA for remote e-voting then, he/she can use his/her existing User Id & Password for casting the vote.

10. The Notice of the AGM, along with the procedure for e-voting, has been sent to all shareholders electronically and the same is also available on the website of the Company at www.anjanacement.com and the website of Company's RTA at <https://evoting.kfintech.com>.

11. The Company has appointed M/s. D. Hanumanta Raju & Co, Practising Company Secretaries, as Scrutinizer for the e-voting process.

12. A Special Window was opened for a period of 6 months from July 07, 2025 to January 06, 2026 by SEBI vide its circular dated SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares which has been subsequently extended by SEBI allowing shareholders to transfer or dematerialize shares for a period of one more year from February 05, 2026 to February 04, 2027 vide its circular dated HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/II/3750/2026 dated January 30, 2026. The facility is available for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/ or otherwise. Investors who have not made the lodgement of transfer documents are encouraged to avail advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrars and Share Transfer Agents.

For any further queries/ grievances connected with the electronic voting, you may refer "Frequently Asked Questions" ("FAQ") and e-voting User Manual for shareholders at <https://evoting.kfintech.com>, or contact Company's RTA, at 1800-309-4001 (toll free) or Mr. Veeda Raghunath, Manager- Corporate Registry at KFIN Technologies Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032, Telangana, Tel +91-40-67161767, e-mail id: raghu.veedha@kfintech.com.

Date: 18-08-2026 For Anjani Portland Cement Limited Sd/- Krithika Vijay Karthik Company Secretary & Compliance Officer
Place : Hyderabad Date : 18-08-2026



के.एस. ऑयल्ल लिमिटेड

सीआईएन L15141MP1985PLC003171

पंजीकृत कार्यालय : सत्ररा नंबर 61, 22 / 1, 28/1/4 ए वी रोड, सिलावटी,
गुना—473 001, मध्य प्रदेश, भारत

टेलीफोन : 0124+4173814 ई-मेल : compliance@ksols.in
वेबसाइट : www.ksols.in

सूचना

नीतिक प्रतिज्ञाओं के हस्तांतरण और अनौपचारिकरण के लिए स्पेशल विंडो

यह सूचना 01 नवंबर 2025 को प्रकाशित हुई हमारे समाचारपत्र विभाग के सिलसिले में है। हम एक पदचरित्र दोहराते हैं कि सेवा समुच्चय नंबर अप्रैल/38/13/11(2026)-एमआईआरएचसी-पीओसी/आई/3750/2026 निम्नांकित 30 जनवरी 2026 के अनुसार में, सभी सेक्टरों/सेक्टर्स को पुनः सुविधा किया जाता है कि नीतिगत श्रेणी के हस्तांतरण और अनौपचारिककरण (डीमेंट) के लिए एक स्पेशल विंडो 04 फरवरी, 2027 तक खुली रहेगी।

यह स्पेशल विंडो उन हस्तांतरण अनुबंधों के लिए भी उपलब्ध होगी जो 01 अगस्त, 2019 से पहले जारी की गई थी और जिसने हस्तांतरण के लिए अपना भी निर्णय दे या हस्तांतरण के लिए शेष अवधि दे दे, लेकिन दस्तावेजों/प्रक्रिया/या किसी अन्य कारण से अस्वीकार/बायपास कर दिए गए/एन प्र ध्यान नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार हस्तांतरित की गई प्रभुत्वपूर्णता को अनिवार्य हस्तांतरण को केवल डीमेंट मोड में खोलित किया जाएगा और हस्तांतरण के पंजीकरण को लेखि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन में रहेगी। ये प्रभुत्वपूर्णता उपरोक्त लॉक-इन अवधि के दौरान हस्तांतरित/ग्रहणाधिकार अधिकारी की जांचें/अथवा/अथवा नहीं रखी जाएंगी। हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरित की जाने विवादों वाले मामलों, और निवेशक क्षति और संस्था कोष (आईईपीएफ) हस्तांतरित की गई प्रभुत्वपूर्णता पर इस बिंदु के तहत किया नहीं किया जाएगा। शेयरधारकों को इस अनवरत का सारा उद्देश्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए वे मूल प्रभुत्व प्राप्तियंत्रण, हस्तान्तरण वित्तलेख, ब्लाकचेन मास्टर् लिस्ट (सीएसएफ) और उपस्थितिपूर्ण प्रमाणपत्र में वर्णित अन्य सभी हस्तांतरण कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रैकर्स (जैसे, आरपीए), नामा, मेसर्स अडिक् कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, 60, इन्द्रकिर्णिका कॉम्प्लेक्स, परदेदीपुरा, इंदौर (मध्य प्रदेश)-452010, ई-मेल : investor@ankantionline.com या कंपनी को ई-मेल : compliance@ksols.in पर अपने सहमतता के लिए भेज सकते हैं।

कुते कुरस कंसल्टिंग लिमिटेड
ज्योति शर्मा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीसी 65136

मुद्राग्राम
दिनांक : 10-08-2026



जेएम फाइनेंशियल होम लोन लिमिटेड

कोफ़ीट पार्क, तांद्री मंडील, मुंबई ४०० ०११ | फ़ोन : २६८२ २०००६२
 वरत पार्क रोड, टाटा स्टील कॉम्प्लेक्स, बोटीवडी पर्व, मुंबई-४००००६
 पंजीकृत पता: १वीं फ़्लोर, सेक्टर-१, अपारम्ह गेट नं.२, प्रभादेवी, मुंबई-४०००२२

उधारकर्ताओं और आम जनता के लिए विक्री की सूचना

सिक्क्योरिटीज (एफ़्डी) रिकवरेन्स ऑफ़ फ़ाइनान्सियल सर्वेस एंड एफ़ाईसीटेड ऑफ़ सिक्क्योरिटी डेपॉजिटर्स (एफ़डी) एक्ट, २००२ के तहत जेएम फ़ाइनान्सियल होम लोन के पास गिरीवी रखी ग्राहक अर्बन अपन संपत्ति का विक्री

जेएम फ़ाइनान्सियल होम लोन लिमिटेड (JMFLH) के अधिष्ठाता अधिकारी के जोर पर, नीचे हस्ताक्षर करना वांछित करने से सम्बंधित की को थाराई १३ (4) के तहत जेएम फ़ाइनान्सियल होम लोन ग्राहक को काफ़ाले ले जाते हैं। अगर उधार लेने वाला ग्राहक, उधारकर्ता इस नीति के तहत गिरीवी रखा है, तो अर्बन अपन संपत्ति का विक्री करना नहीं सकता है, तो JMFLH को सम्बंधी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रोव्हीद करने के अधिकार का अधिकार (अपम जन्तु) को सुनिश्चित किया जाता है कि शेकुलोन में बढाई हुई सुविधा प्रोव्हीत JMFLH का बकयाज्य वकालत के लिए सर्फर्सेस एक्ट २००२ और सिक्क्योरिटी डेपॉजिटर्स (एफ़डी) एक्ट २००२ के प्रावधानों के तहत, केमनी को मंजूर ज्ञात पर "जेसी है, जहां है, "जेसी है, वही है" और "जे कुछ भी है" के आधार पर विक्री के लिए उपलब्ध है।

लोन की जानकारी:

क्रम संख्या	उधारकर्ता (रूप-उधारकर्ता/ ग्राहक का नाम/ कृष खाता संख्या)	गिरीवी रखी ग्राहक का विवरण	बकयाज्य राशि
1.	श्री शशांक पवार	कथ संख्या-1-T-2-T-3-T-4-T-5 और T-6, तीसरी मंजिल, पर्वतावाला, मुम्बईसिटी नंबर 17/1 (पुनान नंबर 46/1) और मुम्बईसिटी नंबर 18/1 (पुनान नंबर 38) का उत्तरी भाग, गिरीवाला, पर्वत, तहसील और तहसील, मायापूर-452002 (सीटी नं. २६७- सरकारी रजिस्ट्रार, गिरीवाला, पर्वत- बकयाज्य, उत्तर- कॉमन प्लैट, दक्षिण- बकयाज्य/मार्केट)	07-मई-२०२० तक ₹42,86,797/ (कैश ब्यालीस लाख इक्कीस हजार साठ सौ सत्तर रुपये केवल)
2.	श्री मीनती पवार		
3.	श्री पवन पवार		
	कृष खाता संख्या		
	LDR2300043073		

प्रावदेदी १३ (4) (प्राप्ती सम्बंधित) के तहत प्रोव्हीत की विक्री के लिए प्रोव्हीद निम्न और इस प्रकार:

- प्रावदेदी १३ (4) के तहत प्रोव्हीत "जेसी है, जहां है, "जेसी है, वही है" और "जे कुछ भी है" के आधार पर होगे।
- सरगदारी को प्रोव्हीत खरीदने के अधिकार को केवल इसा विक्री के अधिकारी को सूचना दिये के अतले कामकाजी दिना विक्री मुमकिन का 25% अपना करना होगा और बकयाज्य का करीब १५ दिनों में भेजना अपना करनी होगी।
- सरगदारी को अतिरिक्त के साथ अधिकारी की गृह रकम का 10% अपना करना होगा, जिसे उधार दिवद ग्राहकीं (2) के अनुसार जमा को जमाने वाली 25% रकम में एडवेंस कर दिया जाएगा।
- उधार दिवद ग्राहकीं (2) के अनुसार रकम अपना न करके पर, पहले से जमा की गई रकम (जिसेमें 10% एडवेंस के साथ अपना किया गया) १०% भी शामिल है) जमान कर दी जाएगी।
- अगर JMFLH सीधे अधिकारी को सीखी नहीं करता है, तो अतिरिक्त के साथ जमा की गई 10% रकम जिना किसी ब्याज के आधार कर दी जाएगी।
- प्रोव्हीत को सभी मंजुअर और अडिब के दायित्वों (encumbrances) से मुक्त कराया जा रहा है, जहां वे JMFLH को पाने के लिए प्रोव्हीत कर रहे हैं। सुर्जित लेनरर (Secured Creditor) प्रोव्हीत में तीसरे पक्ष के दावा/ अडिब के साथ प्रोव्हीत के लिए विक्री में शामिल नहीं होगा।
- सरगदारी को प्रोव्हीत (जिसे प्रावदेदी १३ (4) के जौर ब्याज का जरा रहा है) से जुड़े सभी घटलुओं की अपनी सुविधा के अनुसार अकरी तरह से हल-पुहलाने (due diligence) करनी चाहिए। सरगदारी को बाद में इस संबंध में अधिष्ठाता अधिकारी/ सुर्जित लेनरर के लिखिक कोर्सी दावा करके को अधिकारी नहीं होगा।
- JMFLH के एक्ट बिना को करक बताना खूबद खूबद के लिए प्रोव्हीत की विक्री को अखीर करके को अधिकार सुरक्षित है।
- एक के अधिक अपन होनी को सिटिमें JMFLH करके उधार और को को सीखी करेगा।
- इच्छुष पक्ष अधिक जानकारी/ राष्ट्रीकरण और अपन आवेदन जमा करने के लिए अधिष्ठाता अधिकारी को संस्क कर सकते हैं।
- प्रोव्हीत की खरीद के संबंध में सभी साम्य खूदी, रजिस्ट्रेशन छोड और अन्य खूद, टैस और खूदी का भुगतान सरगदारी को करना होगा।
- किकी SARFAES एक्ट/ नियमों के प्रावधानों के तहत जेएम फाइनेंशियल होम लोन द्वारा है, तो JMFLH को डील कर करनी होगी और (किकी को विक्री को करके तो पर दी गई रकम सुनिश्चित सरगदारी को वापस करनी होगी।
- अधिष्ठात व्यक्ति का विवरण - नाम: श्री नील सिवायद, संपर्क: 7067902482, ईमेल: sunil.silawat@jmfl.com

दिनार: १०.०८.२०२६

स्थान: भोपाल, मध्य प्रदेश

जेएम फाइनेंशियल होम लोन लिमिटेड
हस्ता/ अधिष्ठाता अधिकारी

 	इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुडनई, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालय: सॉलिटेयर कॉर्पोरेट पार्क, बिल्डिंग नं. 10, 106/2, छठी मंजिल, चक्का, अंधेरी पूर्व, मुम्बई-400 093, वेबसाइट : ६६६.१११.१११.१११.१११
[नियम ४(1)] भौतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)	
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम ४(1) के तहत नोट : यह सूचित किया जाता है कि एससीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार "श्रीराम सिटी यूनिजन फाइनंस लिमिटेड" को "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनंस लिमिटेड" के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनंस लिमिटेड" का नाम बदलकर "श्रीराम फाइनंस लिमिटेड" कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।	
जबकि अधोहस्तक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीराम फाइनंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम सिटी यूनिजन फाइनंस लिमिटेड (एससीयूएफ)) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे तालिका में वर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं का प्रतिभूति मांग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्गुप्तान करने के लिए आम सूचना दिनांक 22.04.2024 जारी की थी। कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं के राशि के पुनर्गुप्तान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्तक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संरक्षणी अधिनियम) की धारा 13(4) के तहत नीचे अन्य सभी विवरणों सहित नीचे तालिका में विशेष रूप से वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर भौतिक कब्जा कर लिया है।	
कर्जदार का नाम एवं पता	
मैसर्स एफ.आई.एफ. इलेक्ट्रिकल्स (इसके प्रोपराइटर श्री अंकित कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व), श्री अंकित कुमार, श्रीमती मनोमा जैन; पता: भोपाल चौराहा, परनिया बाटिका के पास, देवास, म.प्र. 455001 और मकान नंबर 344, अलकापुरी देवास, मध्य प्रदेश-455001	
भौतिक कब्जे की तिथि: 12/08/2026	
मांग सूचना के अनुसार देय राशि	
रु. 22,00,362.62 (रुपये बाईस लाख तीन सौ बासठ रुपये और बासठ पैसे मात्र)	
16.04.2024 तक ऋण खाता संख्या RSN2L P2212310007 के संबंध में और साथ ही आगे का ब्याज, अन्य अनुधारांक प्रभार तथा जुर्माना।	
संपत्ति का विवरण	
प्लॉट/चंद नंबर 344, की (पश्चिमी हिस्सा) का वह समस्त भाग जो शासकीय नृतीय और चतुर्थ श्रेणी पंचायती कालोनी, अलकापुरी, जिला - देवास, मध्य प्रदेश में स्थित है; सम्पत्ति का क्षेत्रफल 592.80 वर्ग फीट (५4.720 वर्ग मीटर) है। सीमाएँ: पूर्व की ओर: लक्ष्मी चंद जैन जी का घर;	
पश्चिम की ओर: प्लॉट नंबर 373;	
उत्तर की ओर: प्लॉट नंबर 355;	
दक्षिण की ओर: कॉलोनी रोड।	
विशेष रूप से कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संश्लेषण करने के काले की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संश्लेषण उपर उल्लिखित गति तथा उस पर ब्याज के लिए श्रीराम फाइनंस लिमिटेड के प्रभार के अधधीन होगा।	
श्रीराम आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपर्युक्त सम्व-सीमा के परंप्रेषण में कर्जदार का प्रधान अधिनियम की धारा 13(4) उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।	
स्थान : देवास, मध्य प्रदेश	
तिथि : 12.08.2026	
ह./— अधिकृत प्राधिकारी	
श्रीराम फाइनंस लिमिटेड	



एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

(सीआइएन : U65921MH1995PLC212675)

एक्सिस हाउस, सी-2, बाहिया इन्टरनेशनल सेंटर, बुलडिंग नुबर कार्ग, वली, मुंबई -400025

मॉग सूचना

प्रतिभूति िट (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आसियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति िट प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत।

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के अंतर्गत एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एफएनएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित नियम 13 (2) के अंतर्गत प्रत्येक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लेखित तिथि की विस्तृत मॉग सूचना पहले ही जारी कर दी है, जिसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे सूचित/उल्लेखित ऋणकार/की/सह-ऋणकार/की/गारंटर/की/ (सभी) को एकल या संयुक्त रूप में "बाध्यकारी"//वित्तिक वारिस(सी)/वित्तिक प्रतिनिधि(सी) के रूप में संपर्कित/ित संबंधित मॉग सूचना में उल्लेखित राशि का भुगतान करना का आवाहन किया गया है। उक्त सूचनाओं की प्रतियां संजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई हैं तथा अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है, तथा उक्त बाध्यकारी/वित्तिक वारिस/वित्तिक प्रतिनिधि, यदि वे ऐसा चाहें, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, उक्त बाध्यकारी(सी)/वित्तिक वारिस(सी)/वित्तिक प्रतिनिधि(सी) को एफएनएल को, संबंधित सूचना/सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उनके संबंधित नामों के समूह में सूचना/सूचनाएं भेजें, तब (1) नीचे उल्लेखित संबंधित तिथियां से भुगतान/आव/या सूचनी की तिथि तक नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आगे के ब्याज के साथ, ऋण समायोजित तथा उक्त बाध्यकारी(सी)/वित्तिक वारिस/वित्तिक प्रतिनिधि, यदि वे ऐसा चाहें, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

क्र.सं.	ऋण खाता संख्या	बाध्यकारी(सी) / वित्तिक वारिस(सी) / वित्तिक प्रतिनिधि(सी) के नाम	नीचे दी गई तिथि के अनुसार कुल बकाया देयदारियां (*)	मॉग सूचना की तिथि एप्रिल की तिथि
1.	0456FAHA00001202 0456FAHA00001208	सुरेश कुमार प्रजापति दुर्गा प्रजापति	र. 66,75,414/- (रुपये छहछह लाख पचाहत्तर हजार चार सौ चौदह मात्र) 06 अगस्त 2026 के अनुसार	10.08.2026 03.08.2026

प्रतिभूत परिसंपत्तियां / अवल संपत्तियां / बंधक संपत्तियों का विवरण : कल्याण संपत ग्रीन्स प्लॉट नंबर 78, ग्राम कालीविहोद दहलीजी देवालपुर जिला इंदौर मध्य प्रदेश 453001 में स्थित संपत्ति का पूरा हिस्सा तथा मूखंड।

*उपरोक्त उल्लेखित संबंधित मॉग सूचनाओं में विशेष रूप से बताए अनुसार आगे के ब्याज, अतिरिक्त ब्याज की दर पर, भुगतान/आव/या सूचनी की तिथि तक हुए अनुपयोगी ब्याज, लागत, प्रभार आदि के साथ। यदि उक्त बाध्यकारी एफएनएल को यथोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो एफएनएल लापर ओर परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त बाध्यकारी(सी)/वित्तिक वारिस(सी)/वित्तिक प्रतिनिधि(सी) के जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा मॉग नियमों के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति(सी)/अवल संपत्ति(सी) के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।

उक्त बाध्यकारी(सी)/वित्तिक वारिस(सी)/वित्तिक प्रतिनिधि(सी) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत एफएनएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी, पक्ष के माध्यम से या अन्यथा प्रत्यक्ष प्रतिभूत संपत्ति(सी)/अवल संपत्ति(सी) को हस्तांतरित करना से प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके अंतर्गत प्रत्येक पर मॉग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए दुरुपेक्षित करता है, वह अधिनियम के अंतर्गत यथाप्राकान कारावास और/या अर्थदंड के लिए दानी होगा।

स्थान : 19-08-2026

सचिव : इंदीर

कुले एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

हस्ता : प्रतिभूत अधिकांश अधिकारी

 रोहा हाउसिंग फाइनॅस प्राइवेट लिमिटेड कापीरट कार्यालय : सुनित नंबर 1117 एवं 1118, 11थं तल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301				
कच्चा सुचना (प्रतिभूति हित (पुनर्वसन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के तहत)				
जबकि अग्रोहासवारी ने, रोहा हाउसिंग फाइनॅस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आरएफएफपीएल" कहा जाएगा) जिसका पंजीकृत कार्यालय जेजेटी हाउस, ए/44/45, रोड नंबर 2, एम्सआईसीसी, ओपेरी एव, मुंबई-400093 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी की रूप में वित्तीय आगति के लिए, प्रसिद्धकृत एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रदान करने के लिए, अक्टूबर 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के तहत प्राप्त की गई थी, जिसके अंतर्गत का कर्जदार का प्रयोग करते हुए, उस अभिनय में कागज (132) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित निष्पत्ति कागज सूचना जारी की थी, जिसे आगे का कर्जदार का प्रतिभूति हित (पुनर्वसन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के तहत प्राप्त की गई थी। यदि उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर व्याज की राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर कर्जदार की गंम की गई थी। नीचे उल्लिखित कर्जदार द्वारा प्राप्ति की गई राशि में निम्न प्रकार के कारण, नीचे उल्लिखित कर्जदारों और अंतर्गत कागज के प्रयोग किया जाता है कि अग्रोहासवारी ने प्रतिभूति हित (पुनर्वसन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के तहत प्राप्त अभिनय की प्राप्ति की प्राप्ति (54) के तहत प्राप्त शर्तियों का पालन करते हुए, प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित राशि और उस पर व्याज के लिए, विशेष रूप से उक्त प्रतिभूति हित कर्जदारों और अंतर्गत कागज के प्रयोग करने के संबंध में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं करती की बातानी दी जाती है और संपत्ति के संबंध में कोई भी कर्जदार रोहा हाउसिंग फाइनॅस प्राइवेट लिमिटेड के अनिम होगा, जिसके लिए नीचे उल्लिखित राशि और उस पर व्याज देय होगा। कर्जदार का कर्जदार कागज की प्राप्ति की प्राप्ति (54) के प्रभावानों के लिए और अपरिचित किया जाता है, जो प्रतिभूति हित (पुनर्वसन) नियमावली के लिए उपलब्ध संपत्ति के संबंध में है।				
क्र. सं.	कर्जदार(री)/ सह-कर्जदार(री)/ का नाम/प्राप्ति का संख्या/शाखा	सम्पत्तियों की अनुसूची	मांग सूचना तिथि एवं राशि	कृतांक की तिथि
1.	एलएचए HLUJNCSCON000005140894 शाखा - एरुडन नी 1 दिवस एवं/ओ सोदास सिंह नी 1 वारा सिंह 3 श्रीमती याता बाई कथ्यु/ओ लीलीप सिंह	संपत्ति के सभी अधिकार, अंश एवं खंड : पी.एच. नंबर 38, सर्वे नंबर 24/3 पर निर्मित मकान के रूप में अवल संपत्ति, बोरलपल मकान 450 वर्ग फीट (41.80 वर्ग मीटर), गंग नहरखेड़ा, शहदोल शहर, पी.एच. नंबर 38, सर्वे नंबर 24/3 पर निर्मित मकान के रूप में द्वारा प्रपत्ति/कैमस के नीचे भीतर और उसके सभी आंतरिक भागों तथा अधिकारों में अर्थात् निर्माण यन्त्रालय द्वारा, जो आवासीय उपयोग हेतु गैर-मुक्ति मुक्ति पी.एच. नंबर 38, सर्वे नंबर 24/3, गंग नहरखेड़ा, गंग आवासीय उपयोग हेतु निर्माण यन्त्रालय द्वारा प्रपत्ति-456444 में निर्मित किया जाता है, जो अर्थात् निर्माण शरीरों के : पूरक सहक, परिवार, याता की अपनी मुक्ति, उत्तर बाह्यूर प्रपत्ति का मकान, दक्षिण: यमग सिंह का मकान	16-01-2026 एवं 3,83,363/-	13-08-2026
तिथि : 13-08-2026, स्थान : अजंता प्रसिद्धकृत अधिकारी, रोहा हाउसिंग फाइनॅस प्राइवेट लिमिटेड				

अलकैमिस्ट एसेट रिकन्स्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सौभाग्यपूर्ण नं.: U74999DL2002PLC117052
ए-270, पहली और दूसरी मजिल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024
E-Mail : admin@alchemistarc.com, वेबसाइट www.alchemistarc.com

कच्चा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ प्रचित सरकारी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत।
 जबकि, अस्सीमिट्ट एस ईटी रिक्टरइयून जमीनि निर्मित (एसएमआईटी) द्वारा निगोत्रित आवासीय इलाका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1956) के अधिनियम, 2002 (60/02 का 54) के तहत औद्योगिक हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ प्रचित धारा 13(12) के तहत प्रगत शक्तियों का प्रायोग कर माना नोटिस दिनांकित जारी किया जा जिसमें कर्जदार से नोटिस में उल्लेखित व्यक्ति को उनके उक्त माना नोटिस पश्चात् की ताारीख से 60 दिनों के अन्दर अपील करने के लिए कहा गया।
 कर्जद्वारा द्वारा राशि अदा न कृत पाये पर, पुस्तपद्धता कर्जदार और उस सामान्य को पुस्तपद्धता खण्डित किया जाता है कि ओहोहाशक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ प्रचित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत प्रगत शक्तियों का प्रायोग कर नीचे विषयगत संपत्ति का कब्जा ले लिया है। कर्जदार(शी)/उमानती(शी) एवं सर्व साधारण को सामान्य रूप में संघटित से कोई भी लोन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लोन-देन राशि और इस पर ब्याज के लिए अलकैमिस्ट एस ईटी रिक्टरइयून कंपनी लिमिटेड के प्रमार के अधीन आया।
 प्रमाणित परिस्पत्तियों को मुक्त करने के लिए उल्लम्बक मानने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावानों में कर्जदार या अन्या अक्रूपक किया जाएगा।

क्र. सं.	ऋण खाता ख्याता	कर्जदार(शी)/ साह-कर्जदार(शी)/ उमानती(शी) के नाम	माना नोटिस की ताारीख और राशि रु(₹)	(13d) नोटिस की ताारीख	प्रामायनु पूरिसंपत्तिक का विवरण	देय ताारीख
1	PRO10568359	अथान किराना एंड जनरल स्टोर रेडींगार रोड नौग्राम बी	18 मार्च, 2026 और रु. 1560828/-	17 अप्रैल, 2026	संपत्ति सर्व संख्या 154/1/2, पीएच नं. 68, गारा लाविगाना तरहीजी जोरा, जिला तराइन, मध्य प्रदेश-457226 के समेत भार- व खंड। पूर्व-इस सर्व संख्या के विक्रेते की शेथ भूमि- परिक्षापण वाली भूमि, उत्तर-सरकुट, दक्षिण- देवगढ़ बी की भूमि	24 दिसंबर, 2025

कर्जदार(शी)/उमानती(शी) को एकरादान यह चेतावनी दी जाती है कि ये कपर भारार् यदि फेरियातु परामर्शणीय का प्रामायनु लेनदार की पूर्ति निष्ठात हावकी के बिना कोई लोन-देन न करे वी डिक्री, ऐड्, भॉङ, उनर, उस पर कोई भार या क्रियी अनुर हावेगी लेन न ही उसक फेरियात करे।
 यह प्रकाशन सरकारकी अधिनियम, 2002 के प्रावानों के अनुकरण में, कर्जदार(शी)/उमानती(शी) एवं सर्व सामान्य को कर्जदार और उसके सामान्य की जानकारी के साथ संपत्ति के साथ कोई भी लोन-देन नहीं करना है।
 किसी भी प्रदन के मामले में, कृपा ओहोहाशक्षरी व्यक्ति से निम्नलिखित संबंध विवरण पर संचाक करें:
फ़ोन नं.-011-46922944 ईमेल admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com

दिनांक:- 19.06.2026
स्थान:- मध्य प्रदेश

हरिता./—प्राधिकृत अधिकारी
अलकैमिस्ट एसेट रिकन्स्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(अलकैमिस्ट XLVII ट्रस्ट के टूरटी की समाप्त से कर्जदार) प्रमाणित अभिमत

अलकेमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड सीआईएसए नंबर U74999DL2002PLC117052 ए-270, प्रथम एवं द्वितीय तल, रिजिंस कलोनोई, नई दिल्ली-110024, ई-मेल : admin@alchemistarc.com वेबसाइट : www.alchemistarc.com						
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)						
(प्रतिगुपित वित्त (प्रॉपर्टी) निष्पत्तिका 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरकारी विवरण, 2002 की धारा 13(4) के अन्वी)						
जबकि, ओगोहस्तावरी में अलकेमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, (नीचे वर्णित अनुसार विवरणों के सम्मुखन कच्चा) के मालिक से एक्सीप्रीसो फाइनल लिमिटेड की सम्पुर्णमिती, के मालिकता अधिकारी के रूप में वित्तीय आदिताओं का प्रतिगुपितकरण एवं पुर्णनिर्णय तथा प्रॉपर्टी वित्त प्रदर्शन अगुपित, 2002 (सूचना का 54) के अधीन और वित्त वित्त (प्रॉपर्टी) निष्पत्तिका 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरकारी विवरण की धारा 13(2) के तहत प्रदर्शन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रॉपर्टी वित्त प्रदर्शन अगुपित जारी की गई, जिसमें कर्जदार से सम्बन्ध में वर्णितानुसार कर्जा तथा कमाना उत्त सूचना की प्राप्ति की तिथि के 60 दिन के भीतर कर्जा वित्त प्रदर्शन अगुपित की भांग की गई थी। कर्जदार उत्त राशि चुकाने में असमर्थ रहे, एतद्वारा कर्जदार और जलसापणों के सूचना दी गई कि कि ओगोहस्तावरी में प्रॉपर्टी वित्त प्रदर्शन अगुपित (प्रॉपर्टी) निष्पत्तिका 2002 के नियम 8 के साथ पठित वित्त अगुपित की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उत्तको प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वहां निचे वर्णित संसित का कच्चा से लिया है। विशेष रूप से कर्जदार(री)/ गारंटर(री) तथा जलसापणों को इस संसित के संबंध में संवक्षयवर्तन नहीं करने हेतु कमाना किये जाता है और संसित के संबंध में कोई भी संवक्षयवर्तन अलकेमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड की कच्चा राशि तथा उस पर आने वाला कमाना उत्तक के बाद ही किया जा सकता है। कर्जदार का ध्यान, प्रवर्तनको आसुरियों को पुछाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, आदिगुपित की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्य की ओर अकृष्ट किया जाता है।						
क्र. सं.	खाता संख्या	कर्जदार(री) सार-कर्जदार(री) गारंटर(री) का नाम	सूचना की तिथि एवं कच्चा राशि (₹)	सूचना की तिथि	प्रॉपर्टी आसित का विवरण	नियत तिथि
1.	PRO1332661 & PRO1372771	गोपनी प्रभावति राजू बाई	03 अप्रैल, 2028 ₹ 8,25,742/-	13 अगस्त, 2026	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान नं. 787, वाई नं. 06, 'लुड' क्षेत्रफल 125 वर्ग फुट (1161 वर्ग मीटर), गॉस नं. 1, सलीमपुरा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, विजय नगर, माया प्रदेस - 455233, पृष्ठ - सैनीताल का मकान, परिषद - कृष्ण संवक्षय, उत्तर - ख्यातिपुरा रास्ता, दक्षिण - हीराताल जल का मकान	24 दिसम्बर, 2025
2.	PRO1124168	डुकुन बाबा रेस्टोर्न मोनोर सुभार पुसुती बाई	01 अप्रैल, 2028 ₹ 4,83,685/-	16 अगस्त, 2026	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : सर्वे क्रमांक 149 पर मकान/ प्लॉट, पटवारी हदका क्रमांक 28, ग्राम हानवाला, हादसीत दोनायपुर, ईंदौर, परिषद 2700 वर्ग फीट, विधानक-4520001, पृष्ठ में मोसिताल जल की भुति, परिषद में रोड, उत्तर में सड़क बाड़ा, दक्षिण में धर्म का मकान	24 दिसम्बर, 2025
3.	PRO1172525	मणिर डेवरा मनीष सुभार राठौर रास राठौर बाबूलाल राठौर	27 अप्रैल, 2028 ₹ 10,72,876/-	14 अगस्त, 2026	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति मकान नंबर 35, मूलतः वाई नं. 18, ग्राम बमनाला, देवारा, गॉस हदरापुर, हादसीत और जिंदा शाहपुरा (मध्य प्रदेश) 465001, परिषद 840 वर्ग फीट। सीमाएं- पूर्व सड़क, परिषद- मनीष, उत्तर- श्री रतनताल का मकान, दक्षिण- श्री मनीषाल का मकान	30 सितम्बर, 2025
4.	PRO1145323	पाटीदार किष्काना जांबोती मोदीवाल सोनू बाई पाटीदार यशोदा बाई पाटीदार	21 मार्च, 2028 ₹ 7,28,249/-	14 अगस्त, 2026	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान नंबर 4812, वाई नं. 9, कृष्ण मंदिर के पीछे पाटीदार मोहल्ला उपजल्ये माया प्रदेस, पृष्ठ - श्री कमल सोनी का मकान, परिषद - सड़क, उत्तर की वल्लभ पाटीदार का मकान, दक्षिण- श्री किशोरीपाटी का मकान	24 दिसम्बर, 2025
5.	PRO1059060 & PRO1280699	रॉसल पटेल जी जे रासल पटेल रोना बाई	03 अप्रैल, 2028 ₹ 10,56,290/-	16 अगस्त, 2026	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान पंचायत नंबर 75, कूल एरिया 1250 वर्ग फीट, सर्वे नंबर 1034, वाई नं. 05, ग्राम मूलवाली, पृष्ठ नंबर 76, हादसीत सदायपुरा जिला - 05, माया प्रदेस, पृष्ठ - सैनीताल, परिषद - दुर्गा का मकान, उत्तर - सैनीताल का मकान, दक्षिण - पक्षिक रोड	24 दिसम्बर, 2025
कर्जदार(री)/ गारंटर(री) को एतद्वारा धोवावी दी जाती है कि कि ये सूरक्षित लेनदार की लिखित रूप में पृष्ठ सन्धि में बिना उपरोक्त प्रॉपर्टी आसित को बेचने, पट्टा पर देने, कच्चा रखने, मोसिता करने या किसी और तरा से बेचने या निष्पन्न करने का कार्य नहीं करे। यह प्राधान्य प्रवर्तन अगुपित, 2002 के प्राधान्यों के अनुसार, कर्जदार, गारंटर और आम जलता की जलकारी के लिए किया गया है। किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया एतद्वाराकर्ता से शेषो लिए गए प्रश्नों विवरण पर सल्लाह करें। फोन : 011-46552584 ईमेल : admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com						
तिथि : 19-08-2028 स्थान : माया प्रदेस						
एतद्वारा - प्रॉपर्टी अधिकारी अलकेमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (अलकेमिस्ट XL.VII प्रुट के इंदरी के तौर पर कार्यरत) सूरक्षित लेनदार						



BOMBAY MERCANTILE CO-OPERATIVE BANK LIMITED
(Scheduled Bank)

Regd Head Office : Zain Rangoonwala Building, 78 Mohammedali Road, Mumbai – 400 003

Phones : 23425961/62/63/64, 23114800

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 89th Annual General Meeting of the Members [Shareholders] of **BOMBAY MERCANTILE CO-OPERATIVE BANK LIMITED** will be held on **Friday, September 04, 2026 at 10.30 a.m. at HAJ COMMITTEE OF INDIA, Baitul Hujaj [Haj House], 2nd Floor, 7 - A, M.R.A. Marg [Palton Road], Mumbai – 400 001** to transact the following business :

1. To confirm the Minutes of the last Annual General Meeting held on 12th of September, 2025.
2. To consider and adopt the Report of the Board of Directors and the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and Statutory Auditor's Report for the year ended as on 31st March, 2026.
3. To appropriate Net Profit as recommended by the Board of Directors for the year ended 31st March, 2026.
4. To approve the appointment of Auditors for the Bank for the year 2026-2027 and fix their remuneration.
5. To consider the Annual Budget / Business Plan of the Bank for the year 2026-2027.
6. To approve the amendment in Bye-Law No. 50A & 62.
7. To grant Leave of Absence to the Members of the Bank who have not attended this 89th Annual General Meeting.
8. Any other issue / business with the permission of the Chair.

Date : 17.07.2026

Place : Mumbai.

By Order of the Board of Directors

Sd/-

[ISHRAQ ALI KHAN]

MANAGING DIRECTOR (INTERIM)

Note:

- If there is no quorum within half an hour after the appointed time, the Meeting shall stand adjourned to 11.00 a.m on the same day and the Agenda of the Original Meeting shall be transacted at the said venue, irrespective of the rule of quorum, in terms of By-Law No.39.
- Any Member desiring information pertaining to Accounts, is requested to write to the Bank, at-least six days in advance of the date of the Annual General Meeting.
- Copies of the Annual Report are available at the Head Office and the Branches of the Bank.

	टायटा कैपिटल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिज़नेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोखर परेल, मुंबई 400013		
कच्चा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित प्रदर्शन नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)			
जबकि, अयोध्यास्हरी, टाटा कैपिटल लिमिटेड (जिसे आगे "टीसीए-इस्तारातरिती" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, टाटा कैपिटल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे आगे टीसीएफएसएल-इस्तारातरिती कहा जाएगा) के माध्यम से, गारंटी कंपनी सिद्ध व्यावहारिक रूप से, मुंबई द्वारा पारित दिनांक 24 नवंबर 2023 के आदेशों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के साथ धारा 230 से 232 के प्राधान्यों और अन्य लाघू प्राधान्यों के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") को इस्ताराकर के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") को इस्ताराकर के रूप में समस्त व्यवस्था योजना के तहत, जिसका पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिज़नेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोखर परेल, मुंबई 400 013 में है, विवेकी आस्थियों के प्रतिभूतिपरिणाम एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिष्ठित हित प्रदर्शन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित प्रविणियम, 2002 के नियम 8 और 9 के अंतर्गत पारित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत, नीचे उल्लिखित उपचारकर्ताओं को नाम नोटिस जारी किया गया था, जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि की तारीख की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। उपचारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिस्थितिपरिणामों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्राधान्यों की ओर आकर्षित किया जाता है।			
उपचारकर्ताओं द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उपचारकर्ताओं को, विशेष रूप से और आम जनता को, इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि अयोध्यास्हरी ने उक्त नियमों के तहत निम्नोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्गीकृत संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उपचारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिस्थितिपरिणामों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्राधान्यों की ओर आकर्षित किया जाता है।			
विशेष रूप से उपचारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन टाटा कैपिटल लिमिटेड के भ्रष्टाचार वारेन्ट नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ मांग नोटिस की तारीख से ब्याज और दंडाकारण ब्याज, शुल्क, लागत इत्यादि के अधीन होगा।			
क्र. सं.	वायव्यकर्ता(ओं)/ रक्षणी उत्तराधिकारी(ओं)/ कर्तृणी प्रतिभूति(ओं) का नाम	राशि और ऋण सूचना की तिथि	कच्चा की तिथि
TCLFA02L 840000013 729031	1. मेसर्स सिद्धि विनायक सेवा संस्थान (के.ए), इसको प्रोप्राइटरीज द्वारा श्री शिव चरण कलेक्टरिया 2, श्री शिव चरण कलेक्टरिया, 3. श्रीमती रुपाली कलेक्टरिया, सोनी का पता: 404, सिल्वर मॉल, ब्लॉक सी, आरएनटी रोड, इंदौर, म.प्र.-452001, अन्य पता: प्लॉट नं० 28, पंचवटी कॉलोनी, ग्राम तलावली चांदा, तहसील एवं जिला इंदौर, म.प्र.-452001, अन्य पता: भूलतल, 29, महावीर नगर, गार्डन के सामने, इंदौर, म.प्र. 452018	₹. 71,76,249 / - (रु. इक्कठर लाख छिह्तर हजार दो सौ उनवास मात्र) TCLFA02840000 13729031 में दिनांक 08.06.2026 तक	17 अगस्त 2026
		मांग सूचना की तिथि: 10 जुलाई 2026	
संपत्ति का विवरण: संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 28 क्षेत्रफल 189.24 वर्ग मीटर पंचवटी कॉलोनी, ग्राम तलावली चांदा, इंदौर (म.प्र.) उक्त संपत्ति का साथ उस पर स्थित भवन, संरचनाएं, निर्माण एवं अन्य निर्माण तथा पृथ्वी से जुड़े या पृथ्वी से जुड़ी किसी वस्तु पर स्थायी रूप से लगाए गए स्थायी वस्तुएं एवं भविय के स्थिर उपकरण एवं फिटिंग सहित सभी—प्लॉट नं० 17 (29.08 फीट) परिसर= 60 मीटर सड़क (29.8 फीट) उत्तर-पूर्व को 29 (68.7 फीट) दक्षिण-पूर्व को 27 (68.6 फीट)			
दिनांक: 28 अगस्त 2026 स्थानः भोपाल, मध्य प्रदेश		प्राधिकृत अधिकारी टाटा कैपिटल लिमिटेड	



MANGLAM INFRA & ENGINEERING LIMITED

Registered office: 115 & 116, Ganesh Nagar, Hoshangabad Road, Bhopal (M.P.) - 462026 IN
CIN: L43900MP2023PLC066771
Email: manglaminfra@manglaminfra.com, info@manglaminfra.com
Website: www.manglaminfra.com, **Tel Ph :** 755 4353460

तीसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग संबंधी जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की लागू प्राधान्यों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिष्ठित और विनियम बोर्ड (सूचिवदत्ता दायित्व और प्रकटीकरण आदेश्यकर्ताएं) विनियम, 2015 ("लिटिंग विनियम") के साथ-साथ दिनांक 08 अप्रैल 2020 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 तथा ई-वोटिंग में समय-समय पर जारी किए गए अन्य परिपत्रों (अंतिम परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 द्वारा जारी) और सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 ("सेबी परिपत्र") के अनुसार, वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("ओवीएम") के माध्यम से, बिना सदस्यों की किसी सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के, किए जाने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त अधिनियम, लिटिंग विनियम, एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ("कंपनी") की तीसरी एजीएम शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:00 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें कंपनी की सूचना में उल्लिखित व्यापारिक कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। इस संदर्भ में, सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीसरी एजीएम का नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई है जिनके ई-मेल पते रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("रजिस्ट्रार") / डिपॉजिटरी प्रभागियों ("DPs") के साथ परिष्कृत हैं।
- तीसरी एजीएम का नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें सभी संबंधित वैधानिक दस्तावेज शामिल हैं, कंपनी की वेबसाइट www.manglaminfra.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। एजीएम का नोटिस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
- सदस्य एजीएम में केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (OAVM) के माध्यम से ही भाग ले सकते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी कंपनी द्वारा एजीएम के नोटिस में प्रदान की गई है। इसलिफे, कंपनी की तीसरी एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग लेने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। VC/OAVM के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोषम की गणना के लिए शामिल किया जाएगा।

ई-वोटिंग के निर्देश:

- शेयरधारक को एजीएम के नोटिस में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए एनएसडीएल (NSDL) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (ई-वोटिंग) का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी विस्तृत जानकारी एजीएम के नोटिस में दी गई है।
- जिस व्यक्ति का नाम **04 सितंबर, 2026 ("कट-ऑफ तिथि")** को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होगा। मतदान का अधिकार सदस्यों द्वारा 04 सितंबर, 2026 (शुक्रवार) को धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।
- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 08 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी और गुरुवार, 10 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी।** इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक या डिमैटेड रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद NSDL द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- यदि शेयरधारक जो VC/OAVM सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया है, वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। जो शेयरधारक एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं, वे VC/OAVM के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सभी शेयर रजिस्ट्रार में इलेक्ट्रॉनिक/डिमैटेड (Dematerialized) रूप में हैं। ऐसे शेयरधारकों जिनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक/डिमैटेड फॉर्म में हैं, लेकिन जिनमें अभी तक अपने ई-मेल पते को अपने संबंधित डिमैटेड खाते में दर्ज नहीं कराया है या जिनके विवरण में कोई परिवर्तन हुआ है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रभागियों (DPs) से संपर्क कर अपना ई-मेल पता अपडेट कराएं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री राजेंद्र शर्मा श्रृंगारस्त (FCS: 7482, CP No.: 7832), जो आर.एस. श्रृंगारस्त एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, भोपाल के स्वामी हैं, को मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए म्यूटुअल होजर के रूप में नियुक्त किया है। जिस किसी भी व्यक्ति ने नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरधारक का दर्जा प्राप्त किया हो और कट-ऑफ तिथि के अनुरोध पर शेयर रखता हो, वह वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड कर सका है तथा नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने / ई-वोटिंग करने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। किसी भी प्रश्न के लिए, आप www.evoting.nsdl.com की डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं, या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं, अथवा फ्लैली हावरे, मैनेजर, NSDL, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, 'ट्रेड एरलैंड', कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013, को evoting@nsdl.com पर ईमेल कर सकते हैं।

तिथि: 19-08-2026

स्थान: भोपाल

मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड

एसीडी

नेहा जैन

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी